राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, राजस्थान राज्य कर अकादमी, जयपुर

क्रमांकः– राकअ/प्रशिक्षण/2015/78 दिंनांकः–15.05.2015

समस्त नवनियुक्त कर सहायक

वाणिज्यिक कर विभाग में कर सहायक के पद पर चयन होने पर आपको बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ विभाग में आपका स्वागत है। पृथक से आपका नियुक्ति पत्र प्रेषित किया जा चुका है । इस क्रम में विभाग में उपस्थिति एंव संलग्नतः प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः–

1. आपको अपनी उपस्थिति दिनांक 21.05.2015 को प्रातः 9.00 बजे हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान प्रशासनिक सेवा संस्थान (HCM-RIPA) के भगवतसिंह मेहता सभागार,नेहरू भवन में देनी है, जहां विभागीय अधिकारियों का एक दल आवश्यक प्रपत्रादि की औपचारिकतायें आपसे पूरित करायेगा। तदर्थ नियुक्ति प्रपत्र, पहचान पत्र एवम् आवश्यक प्रपत्र सहित आप निश्चित समय पर उपस्थित हों।
2. उक्त संस्थान जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित है जो केंद्रिय बस स्टेंड एवं मुख्य रेलवे स्टेशन से लगभग 7 कि.मी. दूर,, निकटतम रेल्वे स्टेशन दुर्गापुरा एवम् गांधीनगर से लगभग 3 कि.मी. दूर स्थित है, जहां से सिटी बस, आटोरिक्शा आदि यातायात साधन सहज उपलब्ध है।
3. उक्त उपस्थिति के साथ ही सेवा नियमों के अनुरूप इसी संस्थान में आपको विभागीय प्रशिक्षण दिनांक 21.05.2015 से 04.06.2015 तक दिया जावेगा जिसका स्वरूप सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनो ही प्रकार का होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से 6.00 बजे तक विविध कांलाश नियत किये गये है। प्रतिदिन प्रत्येक कांलाश में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।
4. प्रशिक्षण अवधि में मात्र असाधारण परिस्थिति के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं होगी। अनुपस्थिति अथवा प्रशिक्षण के दौरान समय–समय पर दिये गये विभागीय निर्देशों की अवहेलना अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा सेवा व्यवधान के प्रावधान आकृष्ट कर सकता है।
5. प्रशिक्षण अवधि से प्रारम्भ हुई आपकी राजकीय सेवा का वेतनमान नियमानुसार प्रशिक्षण उपरांत आपके नियमित पदस्थापन कार्यालय में देय होगा।
6. उपरोक्तानुसार उपस्थिति एवं प्रशिक्षण पर आने के लिए किसी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता आदि देय नही होगा।
7. इस प्रशिक्षण अवधि में आपको जयपुर में आवश्यक आवास एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। यद्यपि उक्त प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थित विश्रांति गृह में कुछ कमरों की व्यवस्था हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान प्रशासनिक सेवा संस्थान की निर्धारित दरों पर की गई है, जिसका भुगतान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा । यह सुविधा उपलब्ध कराते समय महिला प्रशिक्षणाथियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
8. प्रशिक्षण अवधि में दोपहर का भोजन एवं यथासम्भव चाय एवं स्नेकस एवम् प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
9. प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को मद्यपान, धुम्रपान अथवा अन्य किसी प्रकार का नशा वर्जित होगा। अनुशासनप्रियता के साथ समय–समय पर दिये गये विभागीय निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।
10. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान राज्य कर अकादमी,जयपुर (STAR) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अन्य किसी निर्देश अथवा समाधान हेतु निम्न सूत्रों पर सम्पर्क किया जा सकता हैः–

दुरभाषः– 0141–2701042

ई–मेलः– **director.ctd.star@rajasthan.gov.in**

(पद्मेश तैलंग)
निदेशक
राजस्थान राज्य कर अकादमी
जयपुर

क्रमांकः–राकअ/प्रशिक्षण/2015/79–82 दिनांकः–15.05.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है :–

1. आयुक्त महोदय, वाणिज्यिक कर विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त प्रशिक्षणार्थी कर सहायक की सूचनार्थ आई.टी. अनुभाग को विभागीय वैब–साईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु ।
3. गाइड पत्रावली

निदेशक
राजस्थान राज्य कर अकादमी
जयपुर